कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना कुसमी
जिला बलरामपुर–रा.गंज (छ.ग.)

–विज्ञप्ति–

परिशिष्ट – 01

–: आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना :–

क्रमांक / 1615 / स्था0 / म.बा.वि. / 2026–27 **कुसमी, दिनांक 19.11.2026**

छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के आदेश क्रमांक / 728 / 1098 / 2008 / मबावि / 50 रायपुर, दिनांक 02–04–2008 में दिए गए दिशा निर्देश एवं संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. के पत्र क्रमांक IT / 830 / 2025 / HOD IT SECTION IT नवा रायपुर, दिनांक 05.01.2026 के परिपालन में परियोजना कुसमी अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र में **आंगनबाड़ी सहायिका** के पद रिक्त है। पद पूर्ति हेतु मानसेवी आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्त किये जाने हेतु पात्रताधारी महिला उम्मीदवारों से नीचे दर्शाए गएशर्तों के अधीन **ऑनलाईन पद्धति** के माध्यम से **दिनांक 20.11.2026 से दिनांक 04.12.2026** तक आमंत्रित किया जाता है । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की नवीन वेबपोर्टल **https://aww.e-bharti.in** में पंजीयन कर आवेदन करना अनिवार्य होगा । ऑनलाईन आवेदन करने हेतु प्रक्रिया की जानकारी उक्त पोर्टल में उपलब्ध **उपयोगकर्ता मेनुअल** से ली जा सकती है ।

नोट :– ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन के प्रिन्ट आउट सहित आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर निर्धारित समय सीमा में परियोजना कार्यालय कुसमी में जमा करना अनिवार्य है । रक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है ।

क्र.	नगर पंचायत / ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	रिक्त पद का नाम
1	2	3	4	5
1	नवाडीह खुर्द	नवाडीह खुर्द	बंदरचुआं	आंगनबाड़ी सहायिका

आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताएं है :–

1. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता / सहायिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी)।
2. **आवेदिका उसी राजस्व ग्राम की स्थायी निवासी होनी चाहिए। जिस राजस्व ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। (शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए)**
3. निवासी होने के प्रमाण में (1) ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में दर्ज नाम एवं नगरीय क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगायी जावे अथवा (2) ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उपसरपंच अथवा पटवारी तथा नगरीय निवायों में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जावेगा।
   टीप :– यदि किसी आवेदिका के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा ।
4. **आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :–**

ऑगनबाड़ी सहायिका पद हेतु	08 वीं उत्तीर्ण

टीपः– उपरोक्तानुसार आदिवासी परियोजना में आठवीं उत्तीर्ण कोई आवेदिका न मिलने पर सहायिका पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर पांचवी रखी जावेगी। उपरोक्तानुसार भी कोई आवेदिका न मिलने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी के अनुशंसा प्राप्त कर साक्षर आवेदिका की नियुक्ति की जा सकती है।

5. अनुसूचित जाति / जनजाति की आवेदिका सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र (जिसकी छः माह की वैधता ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक समाप्त न हुई हो) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करने पर ही निर्धारित अंक

की पात्रता होगी। नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार की महिला होने पर, कन्या आश्रम में आठवीं तक अध्ययन करने संबंधी अधीक्षिका द्वारा जारी प्रमाण पत्र में दाखिल खारिज एवं अंकसूची के आधार पर मिलान होने पर, अनुसूचित जाति/जनजाति का वैध प्रमाण पत्र होने पर तथा विधवा अथवा परित्यक्ता महिला होने के संबंध में वैध दस्तावेज संलग्न होने पर निर्धारित अतिरिक्त अंक दिया जावेगा ।
7. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार की सदस्या को अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान हैं। नियुक्ति निर्देश की कंडिका 3(5) तथा 5(5) अनुसार प्रभावशील सूची शब्द अंकित है इस संबंध में संचालक संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 8514 दिनांक 15–01–2021 द्वारा स्पष्ट किया गया है की सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के आंकडे का उपयोग करना है। अतः गरीबी रेखा के संबंध में ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व शहरी क्षेत्र हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा जारी गरीबी रेखा प्रमाण पत्र (सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के आधार पर) व SECC परिवार सूची दोनो (प्रमाण पत्र एवं परिवार सूची SECC) संलग्न करना अनिवार्य है ।
8 .**ऑनलाईन आवेदन में समस्त दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है । संलग्न दस्तावेजों के आधार पर ही अनंतिम मूल्यांकन पत्रक दावा आपत्ति हेतु जारी किया जावेगा । दावा आपत्ति केवल अनंतिम मूल्यांकन पत्रक पर ही लिया जावेगा, दावा आपत्ति के समय किसी भी प्रकार का नया दस्तावेज नहीं लिया जावेगा। आवेदन के साथ संलग्न किसी भी दस्तावेज में किसी भी प्रकार की आपत्ति होने की स्थिति में उसके अभिप्रमाणन से संबंधित दस्तावेज/प्रमाण पत्र दावा आपत्ति के समय स्वीकृत किये जा सकेंगे ।**
9. नियुक्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन करने वाले आवेदिकाओं को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेज आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व के हों ।
10. समस्त दस्तावेज आवेदिका द्वारा स्व सत्यापित होना आवश्यक है।
11. आठवीं की अंकसूची ग्रेडिग पद्धति में होने पर आवदेन पत्र के साथ प्रधानपाठक/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित अंक तालिका सलंग्न किया जाना अनिवार्य है। **अंक तालिका में प्राप्तांक पूर्णाक व प्रतिशत् का स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य है। अंक तालिका सलंग्न नही करने की स्थिति में ग्रेडिंग के न्यूनतम अंक के आधार पर मूल्यांकन किया जावेगा** एवं मूल्याकंन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अन्तिम स्थिति में मान्य होंगे।
12. दावा आपत्ति दर्ज करने हेतु प्राविधिक (अनंतिम) सूची ऑनलाईन ई–भर्ती पोर्टल में अपलोड की जावेगी । अभ्यर्थी प्राविधिक (अनंतिम) सूची में अपने नाम, पता व प्राप्त अंक का अवलोकन करेंगे व किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर प्रमाण सहित निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन दावा आपत्ति प्रस्तुत करें ।
13. पृथक–पृथक पद हेतु पृथक–पृथक ऑनलाईन आवेदन भरा जावे ।
14. आ.बा. कार्यकर्ता/सहायिका के पदो के पूर्ति से सबंधित शासन द्वारा संशोधित निर्देश प्राप्त होने पर यथा अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी।
15. आवेदन केवल विभागीय ऑनलाईन पोर्टल **https://aww.e-bharti.in** से ही स्वीकार किये जावेंगे। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय परियोजना अधिकारी म.बा.वि. में संपर्क कर सकते हैं ।

उपरोक्तानुसार अर्हता रखनेवाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते हैं।

परियोजना अधिकारी,
एकी. बाल विकास सेवा परियोजना
कुसमी, जिला–बलरामपुर–रा.गंज(छ.ग.)